



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0ब0-25/2018-1182 दिनांक : 18/9/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमण्डल/ देवघर वन प्रमण्डल/
कोडरमा वन प्रमण्डल/ चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल/ चतरा दक्षिणी वन
प्रमण्डल/ चाईबासा वन प्रमण्डल/ जमशेदपुर वन प्रमण्डल/ सरायकेला वन
प्रमण्डल

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चर ऑपरेशन"
योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं
भू-संरक्षण वृक्षारोपण कार्य हेतु **रु0 1198.189 (ग्यारह करोड़ अनठानवे
लाख अठारह हजार नौ सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन
(Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-37/2018-20/स्वी0 व0प0 दिनांक
27.07.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-37/2018-
61/आ0 व0प0 दिनांक 02.08.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य
शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण,
विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष
2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रु0 1198.189 (ग्यारह करोड़
अनठानवे लाख अठारह हजार नौ सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों
में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101400103	769.111
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101400323	429.078
कुल :-		1198.189

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के
अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी
संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने समुख अंकित कार्यों की
राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय

प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर अनुलग्नक-2, स्थल विवरणी अनुलग्नक-3 पर तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-4 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601101400103 एवं 19S240601101400323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. योजना का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व संबंधित वन संरक्षक स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत स्थल का घनत्व खुले वन/ सामान्य वनों की श्रेणी में आता है एवं स्वीकृत स्थल इस कार्यालय के पत्रांक 641 दिनांक 30.05.2018 द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप है। कार्य करने के पूर्व सभी स्थलों पर Photography/ Videography कारवाई जायेगी, ताकि वनों की वस्तुस्थिति जानी जा सके। अगले वर्ष अप्रैल-मई माह में पुनः Photography/ Videography करवाई जाएगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन विधि के करवाये गए कार्यों से वनों के घनत्व में आए परिवर्तन को देखा जा सके।

इस योजना में gap/enrichment plantation के लिए प्राकृतिक प्रजाति के 200 पौधे प्रति हे0 लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। Root-Shoot को स्थाई पौधशालाओं से क्रय कर Tube में तैयार किया जाएगा या फिर Tube plant को स्थाई पौधशाला से क्रय किया जाएगा।

6. वन संवर्द्धन कार्य के दौरान खूंटों को Cutback करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि stump को जमीन से 6" छोड़कर एक बार में तेज टांगी/आरी से काटा जाए, ताकि stump फटे नहीं। किसी भी परिस्थिति में काटी हुई stump की trimming नहीं की जाए।

7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन

योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त हाने के उपरान्त की जाएगी।

10. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

15. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं० 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

16. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया

जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-25/2018-1182 दिनांक- 18/9/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ हजारीबाग/ जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ देवघर/ हजारीबाग/ चतरा/ चाईबासा/ जमशेदपुर/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-25/2018-1182 दिनांक- 18/9/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा/ देवघर/ कोडरमा/ चतरा/ चाईबासा/ जमशेदपुर/ सरायकेला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे० वृक्षारोपण अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	2018-19 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			23738.00	13243.14	36981.14
दुमका रीजन					
1	गोड्डा वन प्रमण्डल	400	94.952	52.973	147.925
2	देवघर वन प्रमण्डल	300	71.214	39.729	110.943
योग:-		700	166.166	92.702	258.868
हजारीबाग रीजन					
1	कोडरमा वन प्रमण्डल	400	94.952	52.973	147.925
2	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल	400	94.952	52.973	147.925
3	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	440	104.447	58.270	162.717
योग:-		1240	294.351	164.216	458.567
जमशेदपुर रीजन					
1	चाईबासा वन प्रमण्डल	100	23.738	13.243	36.981
2	जमशेदपुर वन प्रमण्डल	800	189.904	105.944	295.848
3	सरायकेला वन प्रमण्डल	400	94.952	52.973	147.925
योग:-		1300	308.594	172.160	480.754
सकल योग:-		3240	769.111	429.078	1198.189

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

योजना का नाम : सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(Open Forest (10-40 प्रतिशत घनत्व) with adequate root stock)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० में) :

237.38

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 237.38						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	712.14	0.00	712.14	
2	कटवेक/कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	हे०	15	3560.70	0.00	3560.70	
3	न्यूनतम आवश्यकता अनुसार स्वीकृत विभागीय दर पर वन संरक्षक के अनुमोदन से मशीन द्वारा ट्रेंच/पत्थर घेरान अथवा झाड़ी घेरान (i) ट्रेंच घेरान- ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी०, नीचे की चौड़ाई 1.22 मी०, गहराई 1.22 मी०, ड्रेसिंग सहित (ii) पत्थर घेरान- ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी०, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी०, ऊँचाई 1.00 मी० (iii) झाड़ी घेरान	प्रति हे० औसतन 6 चैन	12	2848.56	11782.74	14631.30	प्रति हे० ट्रेंच घेरान 6 चैन का प्रावधान है किन्तु स्थल पर भूगतान वास्तविक कार्य संपादन के अनुसार किया जायेगा
4	मृदा कार्य (0.45 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी.) 0.091 क्यू० मी० अधिकतम 200 पीट प्रति हे० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	20	4747.60	0.00	4747.60	
5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य - कंटूर ट्रेंच - अधिकतम 50 कंटूर, साईज 5 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी. का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मीटर से 3 मीटर हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मी. गहरा कोड़नी कर रखा जाना।		40	9495.20	500.00	9995.20	अवश्यकतानुसार ढलान पर ही कंटूर ट्रेंच का निर्माण किया जायेगा। कंटूर ट्रेन्च के बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों को भी बोया जाएगा।
6	गली प्लगिंग	हे०	6	1424.28	0.00	1424.28	
7	स्थायी पौधशालाओं में उपलब्ध (10% अतिरिक्त) 60% Root-Shoot को 6"x12" आकार की ट्यूब में Pre-sprout कराकर पौधा तैयार करना।	220	2	474.76	960.40	1435.16	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रु 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी। स्थानीय एवं फलदार प्रजाति के बड़े पौधे को प्राथमिकता दी जायेगी
8	वनों की सुरक्षा		2	474.76	0.00	474.76	
	योग-		100	23738.00	13243.14	36981.14	

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना" (अन्य व्यय) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे० वृक्षारोपण कार्य का स्थल विवरणी

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं०	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
दुमका रीजन:-									
	गोड्डा वन प्रमण्डल	गोड्डा	सुन्दरपहाड़ी		दिग्गी बथान	सुन्दरपहाड़ी- 14		11, 25, 61, 277	50
			सुन्दरपहाड़ी		नारायणपुर	सुन्दरपहाड़ी- 04		18, 24	50
		बोआरीजोर वन प्रक्षेत्र	बोआरीजोर		धमनी पहाड़	बोआरीजोर- 19		1	50
			बोआरीजोर		महुआबथान	बोआरीजोर- 37		1, 926	40
			बोआरीजोर		देवडांड	बोआरीजोर- 63		79	60
			बोआरीजोर		गडियल जंगल ब्लॉक	बोआरीजोर- 38		22	100
		बोआरीजोर		केशगडिया	बोआरीजोर- 20		18	50	
योग:-									
2	देवघर वन प्रमण्डल	प्रादेशिक प्रक्षेत्र, देवघर	देवघर		मंगनासार	देवघर 3	N 24° 34'24.08" E 086° 35'54.32"	138 / 256 , 8 153	110
		भू- संरक्षण प्रक्षेत्र, देवघर	देवघर		अंधरीगादर	देवघर 29	N 24° 31'46.80" E 086° 34'36.43"	919, 932	51
			देवीपुर		बहादुरपुर	मधुपुर 35	N 24° 14'59.39" E 086° 41'19.64"	39 पी, 109 पी, 220 पी, 234 पी, 235 पी	39
		भू-संरक्षण प्रक्षेत्र, मधुपुर	सारठ		शहरजोरी	सारठ 522	N 24° 07'31.81" E 086° 50'42.05"	179, 408, 193, 425, 165, 644, 530, 638, 637, 632, 627, 933, 430, 736	50
			मधुपुर		नाढ़ासिमल	मधुपुर 21	N 24° 21'12.57" E 086° 29'07.11"	432, 475, 570, 474, 455, 487, 526, 529, 532, 566	50
योग:-									
									300
									700

दुमका रीजन का योग :-

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं०	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
हजारीबाग रीजन									
1	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	कोडरमा	डोमचौच		चक	कोडरमा- 42	N 24° 33.768" E 85° 39.851"	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16	40
			डोमचौच		नलवा	कोडरमा- 43	N 24° 33.190 E 85° 41.224	233(p), 245, 246, 247, 248, 249, 250, 259, 260, 261	60
		डोमचौच	डोमचौच		कबराबूट	कोडरमा- 26	N 24° 31.355 E 85° 45.059	121(p), 122, 123, 125, 126	50
			मरकच्चो		नौडीहा	कोडरमा- 96	N 24° 29'34.7 E 85° 50'04.2	159, 168, 169, 170, 171(p), 197(p)	50
		सतगावौ	सतगावौ		कोटियार	सतगावौ- 110	N 24° 40'24.5 E 85° 41'43.0	311(p), 312, 313, 314, 315, 222(p)	50
			सतगावौ		हदहदवा	सतगावौ- 118	N 24° 37'52.8 E 85° 43'36.9	35(p), 17(p)	50
		गझण्डी	कोडरमा		कौआबार	कोडरमा- 236	N 24° 30'47.9 E 85° 27'58.1	360(p), 361, 362, 358, 359(p)	50
			चंदवारा		चौराही	चंदवारा- 262	N 24° 26'968 E 85° 27'795	3(p), 4(p), 5(p), 6(p)	50
		योग:-							400
2	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	हंटरगंज प्रक्षेत्र			बेलगड़ा	हंटरगंज- 266	24° 24.168'	225, 226, 228, 955, 956	50
		प्रतापपुर प्रक्षेत्र			विरमातकुम	प्रतापपुर- 111	24° 16.153' 84° 36.033'	2(p), 3(p), 4(p), 6	50
		कुन्दा प्रक्षेत्र			सिदकी	हंटरगंज- 242	24° 11.117' 84° 40.515'	2, 3, 20, 73, 100	50
		राजपुर प्रक्षेत्र			लुडुवा	चतरा- 150	24° 16.515' 84° 54.221'	22, 23, 24, 29, 30	50
		हंटरगंज प्रक्षेत्र			सागासोत	हंटरगंज- 02	24° 28.149' 84° 53.123'	2(p), 3(p), 4(p)	50

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं०	जीपीएस को-ऑर्डिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
		प्रतापुर प्रक्षेत्र	बंडाटाड़			प्रतापुर- 112	24° 15.433' 84° 35.230'	2, 3, 4	50
		कुन्दा प्रक्षेत्र	कमाल			हंटरगंज- 241	24° 11.496' 85° 42.361'	329, 335, 339, 340	50
		राजपुर प्रक्षेत्र	कारी			चतरा- 153	24° 17.090' 84° 56.080'	327, 328, 329, 379, 378	50
योग:-									
		चतरा	चतरा		संघरी	चतरा- 171	N24° 11'51.23" E84° 55'52.54"	2, 55p, 56	400
		लावालोंग	ईटखोरी		शहरजाम	ईटखोरी- 124	N24° 14'4.34" E84° 11'0.42"	4200, 4201, 4194p	50
			लावालोंग		पोटम		N24° 04'8.18" E84° 48'8.49"	826p, 827p, 825p, 477, 185, 184, 824p, 828p	50
		पिरी	सिमरिया		ईचाक	सिमरिया- 211	N23° 58'05.59" E85° 09'00.84"	1896, 1897	50
3	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	टण्डवा	गोरियाटाड़		गोरियाटाड़	गिद्धौर- 02	N24° 17.465" E85° 07.649"	23, 24	50
			टण्डवा		गौदा	टण्डवा- 63	N23° 47'25.10" E84° 58'13.21"	427, 335, 227, 428, 426, 419, 431, 430, 432	90
		सिमरिया	सिमरिया		ईचाकखूद	सिमरिया- 159	N24° 05'38.3" E84° 58'43.3"	13, 14	40
					मुरवे	सिमरिया- 145	N24° 00'39.15" E84° 58'17.69"	1125, 1126, 1127	60
योग:-									
हजारीबाग रीजन को योग:-									440
									1240

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं०	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे० में)		
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x		
जमशेदपुर रीजन											
1	चाईबासा वन प्रमण्डल	हाटगम्हरिया प्रक्षेत्र	कुमारडुंगी		उन्डुदा पी० एफ०	कोल्हान- 329		1354, 1355	50		
			गंझगांव		बाराकट्टा पी० एफ०	कोल्हान- 340		686, 672, 673, 674, 665	50		
योग:-											
2	जमशेदपुर वन प्रमण्डल	चाकुलिया प्रक्षेत्र			मानुषमुड़िया सालदोहा	घाट०-545			50		
					कटुशोल	घाट०-798			55		
					बागडीहा	घाट०-530			50		
					कशिया	घाट०-531			50		
		मानगो प्रक्षेत्र			सालबनी	घाट०- 1271			50		
					कुसतुलिया	घाट०- 1206			45		
					रानीकुदर	घाट०- 1332			50		
					स्वर्गछिड़ा	घाट०- 1333			50		
		राखामाईन्स प्रक्षेत्र			हीतवासा	घाट०- 1454			50		
					भुडीडीह उर्फ निश्चिन्तपुर	घाट०- 1178			50		
					बड़ाबेतला	घाट०- 1600			100		
					काकदोहा	घाट०- 1097			50		
		मुसाबनी प्रक्षेत्र			आसनबनी	घाट०- 1025			50		
					नरसिंहपुर	घाट०- 1125			100		
			योग:-								800

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं०	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे० मे)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
			खरसावों		नारायणबेडा	खर०- 140		2, 3, 53, 580, 586	50
3	सरायकेला वन प्रमंडल	खरसावों	खरसावों		झुंझकी	खर०- 191		1, 2, 6, 35, 36, 52, 53, 54, 258, 411, 466, 469	50
			कुचाई		जिलिंगदा	खर०- 128			50
			राजनगर		रोला	गो०- 176			50
			सरायकेला		रगरगी	सरा०- 353			50
		सरायकेला	गम्हरिया		विश्रामपुर	सरा०- 353			50
			चाण्डिल		रामगढ़	चा०- 326			100
योग:-									
जमशेदपुर रीजन को योग:-									
सकल योग:-									
									400
									1300
									3240

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-25/2018/1182

दिनांक - 18-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101400103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलिकल्चर ऑपरेशन 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56459	GDDFOR164 MANISH KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	9,495,200.00 रुपये चौरानवे लाख पिनचानवे हजार दो सौ
2	S 19 240601101400103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलिकल्चर ऑपरेशन 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56460	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	7,121,400.00 रुपये इकहत्तर लाख इक्कीस हजार चार सौ
3	S 19 240601101400103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलिकल्चर ऑपरेशन 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56461	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	9,495,200.00 रुपये चौरानवे लाख पिनचानवे हजार दो सौ

योग:

26,111,800.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड इकसठ लाख ग्यारह हजार आठ सौ


(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DOWRYA (S) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलिकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56462	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	9,495,200.00 रुपये चौरानवे लाख पिनचानवे हजार दो सौ
5	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलिकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56463	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	10,444,700.00 रुपये एक करोड चार लाख चवालीस हजार सात सौ
6	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलिकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56464	SGHFOR010 VINAY KANT MISHRA (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	2,373,800.00 रुपये तेइस लाख तीहत्तर हजार आठ सौ

योग:

22,313,700.00

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड चौरासी लाख पच्चीस हजार पाँच सौ

48,425,500.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DIBRAHAT (RANCHI)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56465	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	18,990,400.00 रुपये एक करोड नवासी लाख नव्वे हजार चार सौ
8	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56466	SKLFOR001 SABA ALAM ANSARI D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	9,495,200.00 रुपये चौरानवे लाख पिनचानवे हजार दो सौ
9	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56467	GDDFOR164 MANISH KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	5,297,300.00 रुपये बावन लाख सित्तानवे हजार तीन सौ

योग:

33,782,900.00

क्रमिक योग:

रुपये आठ करोड बाइस लाख आठ हजार चार सौ

82,208,400.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D.BADHAN (HANS) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56468	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	3,972,900.00 रुपये उनचासीस लाख बहत्तर हजार नी सी
11	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56469	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	5,297,300.00 रुपये बावन लाख सिल्लानवे हजार तीन सी
12	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56470	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	5,297,300.00 रुपये बावन लाख सिल्लानवे हजार तीन सी

योग:

14,567,500.00

क्रमिक योग:

रुपये नौ करोड सड़सठ लाख पचहत्तर हजार नी सी

96,775,900.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DEPARTMENT (S) RANCHI

क्रमांक	विपन्न कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56471	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	5,827,000.00 रुपये अठावन लाख सत्ताइस हजार
14	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56472	SGHFOR010 VINAY KANT MISHRA (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	1,324,300.00 रुपये तेरह लाख चौइस हजार तीन सौ
15	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56473	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	10,594,400.00 रुपये एक करोड पाँच लाख चौरानवे हजार चार सौ

योग:

17,745,700.00

क्रमिक योग:

रुपये ग्यारह करोड पैतालीस लाख इक्कीस हजार छः सौ

114,521,600.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF,DADRI/ANANDS/RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
---------	------------	-----------	-----------------------	-------------

16	S 19 240601101400323	56474	SKLFOR001	5,297,300.00
----	----------------------	-------	-----------	--------------

2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी

01 - वानिकी

101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण

40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन

03 - प्रशासनिक व्यय

23 - आपूर्ति एवं सामग्री

State Scheme

State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)


Central Scheme : NA

SABA ALAM ANSARI

D. F. O.

SERAIKELLA-KHARSA

WAN

रुपये बावन लाख सिल्लानवे हजार
तीन सौ

योग:

5,297,300.00

क्रमिक योग:

रुपये ग्यारह करोड अठानवे लाख अठारह हजार नौ सौ

119,818,900.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D.D. (BANKING) RANCHI